

राजस्व पर्षद, बिहार।

सं०सं०-3/7-4/96-844

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,
उप सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक:- 29-03-2017

विषय:- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कोटियों के दैनिक पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-4971 एवं 4972, दिनांक-29.11.2016 के आलोक में राजस्व पर्षद ने सम्यक विचारोपरान्त पर्षदीय पत्रांक-1090 दिनांक-01.12.2016 द्वारा निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक की दरों को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया है :-

क्रमांक	श्रेणी	पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक	पुनरीक्षित पारिश्रमिक
1	कुशल (चालक/लिपिक/टंकक लिपिक) आदि	262.00	301.00
2	अकुशल (अनुसेवक आदि)	206.00	237.00

3. जहाँ भी विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप किसी व्यक्ति से एक माह या अधिक अवधि के लिये कार्य लिया गया हो, वहाँ दैनिक मजदूरी की दरों को मासिक मजदूरी की दरों का रूपान्तरण दैनिक दर को 26 (छब्बीस) गुणा करके किया जायेगा और तदनुसार ही भुगतान किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।